मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2693

17.03.2025 को उत्तर के लिए

उद्योगों को छूट

2693. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु और जल प्रदूषण के संबंध में श्वेत श्रेणी के उद्योगों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरण मंजूरी की अनिवार्य स्वीकृति की आवश्यकता से छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न नागरिक समाज संगठनों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सरकार से श्वेत श्रेणी के उद्योगों को पर्यावरण मंजूरी की अनिवार्य स्वीकृति से दी गई उक्त छूट को रद्द करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित परियोजनाओं या कार्यकलापों, जिनका पर्यावरण पर अधिक प्रभाव हो सकता है, के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) आवश्यक है। इसके अलावा, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत उद्योगों को स्थापना की सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ) दी जाती है।

केंद्रीय सरकार ने उद्योगों की कुछ श्रेणियों को संचालन की सहमति (सीटीओ)/स्थापना की सहमति (सीटीई) प्राप्त करने से छूट प्रदान करने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 में संशोधन किया है। तदनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा श्वेत श्रेणी के रूप में वर्गीकृत 39 क्षेत्रों को कुछ शर्तों के अधीन उक्त अधिनियमों के तहत सीटीई/सीटीओ प्राप्त करने से छूट दी है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 14.11.2024 और 14.01.2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उक्त अधिसूचना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।

(ग) और (घ): प्रदूषण सूचकांक मान 20 तक दर्शाने वाले अर्थात श्वेत श्रेणी के औद्योगिक संयंत्रों को छूट देने के लिए तारीख 19.07.2024 के सा.का.नि 425(अ) और 421(अ) के तहत क्रमशः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत हितधारकों के सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। राज्य सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता आदि से प्राप्त सभी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इन अधिसूचनाओं को अंतिम रूप दिया गया था।

*****